

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 3.69 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या- FP/UK/IRRIG/29972/2017)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु देहरादून वन प्रभाग में 3.69 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त योजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक जोन देहरादून, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत जाखन नदी पर सूर्यधार झील व पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (अनूप मलिक भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, विकासखण्ड

Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 03 / 03 / 2018

स्थान : देहरादून